

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक : प.6(3)राज.-6/2020/1140

जयपुर, दिनांक : 03-12-2021


अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व (लवणीय क्षेत्र में भूमि का आवंटन) नियम, 2007 के नियम 6 के उप-नियम (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा नीचे अनुसूची में वर्णित भूमियों के क्षेत्र को, जिसे राजस्व (ख) विभाग की आज्ञा क्रमांक प.2(168)राज/ख/ग्रुप-3/71 दिनांक 15.02.1973 से लवण क्षेत्र घोषित किया गया था, को तत्काल प्रभाव से लवणीय क्षेत्र से वापिस लेती है:-

अनुसूची

ग्राम	तहसील	जिला	खसरा नं.	किस्म	क्षेत्रफल	लवणीय क्षेत्र से वापिस लिया जाने वाला क्षेत्रफल है०
जाब्दीनगर	नावां	नागौर	215	गैर मुमकिन खार	0.22 है०	0.0464
			238		0.64 है०	0.64 है०
			237		31.30 है०	1.5725 है०
कुल रकबा						2.2589 है०

राज्यपाल की आज्ञा से,


(रामचरन शर्मा) 03/12/2021
शासन उप सचिव


प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सचिव, मा० राजस्व मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग।
4. आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर।

P.T.O.

(2)

5. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
6. जिला कलक्टर, बाडमेर।
7. निदेशक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को असाधारण अंक में दिनांक 3-12-21 में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
8. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
9. राविरा, राजस्व मण्डल अजमेर।
10. समस्त संयुक्त शासन सचिव एवं उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
11. रक्षित पत्रावली।


03/12/2021
शासन उप सचिव